1. इसके संगठन, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण

संगठन

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की दिसम्बर 1973 में स्थापना की गई थी । कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली के तहत कार्यों का आबंटन किया गया । कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है । कृ.अ.शि.विभाग (डेयर) का सचिव, भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) का महानिदेशक भी होता है । इसके अलावा कृ.अ.शि.विभाग का वित्तीय सलाहकार, भा.कृ.अ.प. का भी वित्तीय सलाहकार होता है । विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय यथा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल भी है ।

2. विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

(I) अन्तराष्ट्रीय सहयोग (I) प्रभाग (श्री एम.एस. नय्यर, अवर सचिव)

(1) एफ.ए.ओ. (परियोजनाओं से असम्बद्ध) टी.सी.डी.सी.,सी.जी.पी.आर.टी., सी.ए.बी.आई., ए.पी.ए.आर.आर.आई., आई.एस.टी.ए., एस.ए.ए.आर.सी., एस.ए.आई.सी., आई.जे.ओ., ए.वी.आर.डी.एस., ई.एस.सी.ए.पी., आर.ए.एन.एम. के संबंध में प्रतिनियुक्ति मामले ।

(2) सी.जी.पी.आर.टी., सी.ए.बी.आई., ए.पी.ए.ए.आर.आई., आई.एस.टी.ए., ई.एस.सी.ए.पी. इत्यादि के अंशदान का भुगतान ।

(3) सलाह से संबंधित मामले ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभागों से संबंधित संसदीय कार्य के समन्वय से संबंधित सभी मामले ।

(5) समन्वय कार्य ।

(6) आहरण एवं संवितरण अधिकारी ।

(7) विभिन्न सी. जी. केन्द्रों के कार्यालय को कार्यालय परिसर का आवंटन ।

(8) सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र जारी करना ।

(9) सरकारी पेंशन का विकल्प स्वीकार करने वाले भा.कृ.अ.प. कर्मचारियों से संबंधित पेंशन मामले ।

(10) एन.ए.सी.ए. मामलों पर कार्यवाही करना ।

(11) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी, बैठक इत्यादि के आयोजनार्थ सरकारी मंजूरी लेना ।

(II) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग– II प्रभाग व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग–III (प्रशिक्षण) (श्रीमती अल्का अहूजा, अवर सचिव)

(1) जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग–।। का संबंध है, यह प्रभाग अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों यथा यू.एन.डी.पी., सी.जी.आई.ए.आर. और एफ.ए.ओ. को रिक्तियां परिचालित करता है । इन रिक्तियों के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें तकनीकी टिप्पणी हेतु विषय–वस्तु प्रभाग को प्रस्तुत किया जाता है । यदि विषय–वस्तु प्रभाग आवेदन के अग्रेषण की अनुशंसा करता है तो उन्हें संबंधित अभिकरण को अग्रेषित किया जाता है । ऐसा करते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/डेयर द्वारा जारी निर्देशों एवं विषय वस्तु प्रभाग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है ।

(2) भा.कृ.अ. परिषद/रा.कृ.वि. के वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण/शिक्षावृति के आवेदन भी प्राप्त किए जाते हैं और इन पर भी इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

(3) अध्ययन अवकाश पर विदेशों में अध्ययन करने के लिए अनुदान के आवेदन भी प्राप्त किए जाते हैं और विषय वस्तु प्रभाग से क्लीरेंस मिलने पर इसकी स्वीकृति सूचित की जाती है ।

(4) विदेशाी सरकारों की शिक्षावृति/सहायता के तहत विदेशी प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिकों की प्रतिनियुक्ति के आवेदनों को नोडल विभागों यथा जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विदेश मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग इत्यादि के जरिए प्रक्रियाबद्ध किया जाता है ।

(5) यदि प्रस्ताव में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो अनुभाग अधिकारी, आई सी–2/अवर सचिव (आई सी–2) अनुभाग संबंधित संस्थान/संगठन से आगे की सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करता है ।

(6) विदेशी सरकारों/संगठनों के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/एम.टी.ए. के तहत जनन द्रव्य के विनियम हेतु प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है । विदेशी सरकारों से सीधे अथवा नोडल एजेंसी राष्ट्रीय पौध आनुवॉशिक संसाधन ब्यूरो (एन.वी.पी.जी.आर.) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों की आयातक/निर्यात संस्थानों की टिप्पणियों और एन.बी.पी.जी.आर. सहित संबंधित विषय वस्तु प्रभाग की सलाह के संदर्भ में जांच की जाती है और एन.बी.पी.जी.आर. को आयात/निर्यात हेतु विभागीय अनुमोदन भेजा जाता है ।

(7) जननद्रव्य के आयात/निर्यात की प्रकिया को जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से संशोधित किया जा रहा है। जब तक प्रक्रिया तैयार की जाती है तब तक आयात/निर्यात को जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(8) विदेशी सरकारों/दूतावासों/उच्चायोगों के अनुरोध पर कृषि संबंधी पुस्तकों/साहित्य का मुद्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रकाशन प्रभाग से सामग्री की अधिप्राप्ति विषय वस्तु प्रभाग का अनुमोदन लेने के बाद की जाती है ।

(9) विदेशी विद्यार्थियों का राज्य कृषि विश्व विद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समकक्ष विश्व विद्यालयों/भा.कृ.अ.प. के संस्थानों में स्नातक, स्नात्तकोत्तर तथा डॉक्टरल कार्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित मामलों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में विदेशी वैज्ञानिकों की सहभागिता संबंधी प्रस्तावों पर भी कार्रवाई की जाती है ।

(10) नेपाल सहायता निधि